

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2011

गुरुवार, 31 जुलाई, 2025/9 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

आपदा के दौरान छोटे विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन का उपयोग

2011. श्री कुंदुरु रघुवीर:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपातकालीन चिकित्सा परिवहन और आपदा राहत के लिए छोटे विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन तैनात करने हेतु कोई राष्ट्रीय ढांचा मौजूद है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) क्या तेलंगाना दूरदराज के क्षेत्रों, विशेष रूप से नलगोंडा जिले के वन या जनजातीय क्षेत्रों में बाढ़ या चिकित्सा संकट के दौरान आपातकालीन निकासी के लिए विमानन का उपयोग करने हेतु किसी प्रायोगिक परियोजना का हिस्सा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे क्षेत्रों में आपातकालीन विमानन पहुँच बिंदु या समन्वय केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) ने नागर विमानन अपेक्षाएँ (सीएआर), खंड 8, शृंखला-एस, भाग-VII के माध्यम से हवाई चिकित्सा परिवहन (एएमटी) के लिए अपेक्षाएँ निर्धारित की गई हैं और हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं (एचईएमएस) के संबंध में वर्ष 2016 का परिचालन परिपत्र (ओसी) 02 भी जारी किया है।

केंद्र सरकार ने दिनांक 25 अगस्त 2021 को उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं और इसके पश्चात वर्ष 2022, 2023 और 2024 में संशोधन जारी किए गए, जो देश में सिविल ड्रोन परिचालन को नियंत्रित करते हैं। उपर्युक्त नियमों के अनुपालन में, विजुअल लाइन ऑफ साइट परिस्थितियों में ग्रीन ज़ोन में, किसी स्पष्ट अनुमोदन एवं अनुप्रयोग/ उपयोग पर ध्यान दिए बिना, ड्रोन परिचालन किया जा सकता है।

(ख): वर्तमान में, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई पायलट परियोजना नहीं शुरू की जा रही है।

(ग) और (घ): नागर विमानन मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।